



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN-U32201UP1999SGC024928



संख्या-147-पें०एण्डआर०-28/पाकालि/19-23-पें०एवंआर०/15,

दिनांक 04 फरवरी, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा,
केस्को, कानपुर।

विषय : पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की एल०एम०वी०-10 के अन्तर्गत विद्युत कटौती किये जाने तथा उन्हें अनुमन्य चिकित्सा भत्ते का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या-379-पें०एवंआर०-28/पाकालि/17, दिनांक 28.04.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स से विद्युत शुल्क जमा कराये जाने एवं उनको चिकित्सा भत्ते का भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में संज्ञान में आया है कि पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की एल०एम०वी०-10 के अन्तर्गत विद्युत कटौती किये जाने तथा उन्हें अनुमन्य चिकित्सा भत्ते का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। उक्त कठिनाइयों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स से एल०एम०वी०-10 के अन्तर्गत नियमानुसार विद्युत शुल्क जमा कराये जाने की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। जो पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स अपना विद्युत शुल्क जमा करके रसीद प्रस्तुत करें, उन्हें कारपोरेशन के आदेश संख्या-1201-पें०एवंआर०-28/पाकालि/16, दिनांक 16.12.2016 में निहित प्राविधानानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित पेंशन भुगतान इकाई जहां से पेंशनर पूर्व में पेंशन प्राप्त कर रहे थे, को प्रतिमाह चिकित्सा भत्ते का भुगतान पेंशनर के बैंक खाते में अन्तरित कराये जाने की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। यदि फिर भी विद्युत शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो चिकित्सा भत्ते को समायोजित करते हुए अवशेष विद्युत शुल्क जमा कराये जाने की तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

विद्युत देयों की वसूली तथा चिकित्सा भत्ते के भुगतान सम्बन्धी मदों का समुचित लेखांकन एवं सम्बन्धित अभिलेखों का उचित रख-रखाव भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

Apalna U.
(अपर्णा यू०)

प्रबन्ध निदेशक

संख्या- 147(1)पें०एण्डआर०-28/पाकालि/19, तददिनांक

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
निदेशक (वाणिज्य), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्था/प्रक्रिया प्रभावी कराने का कष्ट करें।

- 2- समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 3- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 4- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 5- समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 6- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 7- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट पर लोड करने हेतु।
- 8- अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103-कीर्ति अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुईयन, 12-आफ, स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 9- कट फाइल।

आज्ञा से,


(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 1201-पै0एवंआर0-28/पाकालि/16-23-पै0एवंआर0-28/15

दिनांक : 16 दिसम्बर, 2016

SI-08

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा,
केस्को, कानपुर।

विषय : पेंशनर्स को देय चिकित्सा भत्ते का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

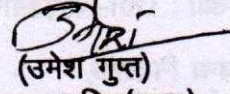
जैसा कि आप अवगत हैं, कारपोरेशन के पेंशनर्स को मिल रहे चिकित्सा भत्ते की दर पुनरीक्षित करते हुए कारपोरेशन के आदेश सं0-1153-पै0 एवं आर0-28/पाकालि/15 दिनांक 30.09.2015 द्वारा चिकित्सा भत्ते रू0 200/- प्रतिमाह अनुमन्य कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। इस प्रकार पुनरीक्षित चिकित्सा भत्ते का भुगतान सम्बन्धित पेंशन इकाई द्वारा किया जा रहा था।

2. तदन्तर शासनादेश सं0-1/2016/41/24-पी-2-16-सा0(84)/2014 दिनांक 13.01.16 के अन्तर्गत पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के दिनांक 14 जनवरी, 2000 के विद्यमान पेंशनर्स एवं उक्त तिथि को कार्यरत ऐसे कर्मिकों जिन्हें पेंशन सुविधा अनुमन्य है तथा जो विभिन्न उत्तराधिकारी कम्पनियों से दिनांक 14 जनवरी, 2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये अथवा होंगे, की दिनांक 01.03.2016 से देय पेंशन, उपादान एवं पेंशन राशिकरण का भुगतान कोषागारों के माध्यम से किया जा रहा है।
3. प्रस्तर-2 में वर्णित व्यवस्था लागू हो जाने के पश्चात कतिपय व्यवस्था सम्बन्धी कठिनाईयों के कारण राजकीय कोषागारों द्वारा पेंशनर्स को देय चिकित्सा भत्ते का भुगतान नहीं हो पाया है।
4. अतः मामले में समुचित विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-
 - (क) चिकित्सा भत्ते का भुगतान पेंशन का अंग नहीं है। यह उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिष्ठान व्यय का एक घटक है। अतः सम्बन्धित पेंशन भुगतान इकाई, जहाँ से पेंशनर पूर्व में पेंशन प्राप्त कर रहे थे के द्वारा चिकित्सा भत्ते की धनराशि रू0 200/-प्रतिमाह का भुगतान सम्बन्धित पेंशनर के बैंक खातों में सीधे अन्तरित कराया जायेगा।
 - (ख) इस हेतु पेंशन वितरण इकाईयां निधि की मांग सम्बन्धित डिस्काम्स से करेंगी। डिस्काम्स उक्त मांग, अधिष्ठान निधि की मांग के साथ, वित्त प्रबन्ध अनुभाग, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन को प्रत्येक माह प्रेषित करेंगी। कारपोरेशन की लेखा शाखा की वित्त प्रबन्ध इकाई द्वारा उक्त निधि डिस्काम को निर्गत कर, उपलब्ध करायी जायेगी।
 - (ग) उपरोक्तानुसार चिकित्सा भत्ते का भुगतान किये जाने के पूर्व सम्बन्धित पेंशन इकाई को यह समाधान करना होगा कि सम्बन्धित पेंशनर के विद्युत संयोजन पर देय विद्युत देयों का भुगतान कर दिया गया है।
 - (घ) यदि पेंशनर द्वारा अवशेष विद्युत देयों का भुगतान कर दिया गया है तो चिकित्सा भत्ते का भुगतान उपरोक्त बिन्दु (क) के अनुसार किया जायेगा।
 - (ङ) यदि विद्युत देय अवशेष है, तो चिकित्सा भत्ते का समायोजन विद्युत देयों में कर लिया जायेगा।

.....2.....

- (च) सम्बन्धित पेंशन आहरण इकाईयों द्वारा इस हेतु आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव भली प्रकार किया जायेगा।
5. कृपया पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,



(उमेश गुप्त)

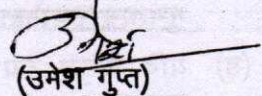
संयुक्त सचिव(अरा0)

संख्या : 1201-पें0एवंआर0-28/पाकालि/2016 तददिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

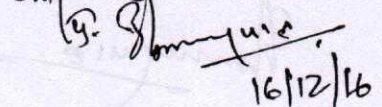
1. प्रमुख सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
2. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, कक्ष संख्या-148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक कोषागार, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, केस्को, कानपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियां।
14. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियां।
17. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
18. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
19. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
20. महामंत्री, विद्युत पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (उ0प्र0), 86/92ख, रिसालदार पार्क, लखनऊ।
21. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू0पी0, पेंशनर्स एसोसिएशन, 18-बी, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ।
22. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
23. कट फाईल।

आज्ञा से,



(उमेश गुप्त)

संयुक्त सचिव(अरा0)



16/12/16



संख्या : 379-पै०एवंआर०-28/पाकालि/17-23-पै०एवंआर०/15 दिनांक: 28 अप्रैल, 2017

विषय: पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स से विद्युत शुल्क जमा कराये जाने एवं उनको चिकित्सा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में।

समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पेंशन वितरण इकाई,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
एवं सहयोगी वितरण कम्पनियाँ।

जैसा कि आप अवगत है, पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के दिनांक 14.01.2000 को विद्यमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों एवं उक्त तिथि को कार्यरत ऐसे कार्मिकों जिन्हें पेंशन सुविधा अनुमन्य हैं तथा जो विभिन्न उत्तराधिकारी कम्पनियों से दिनांक 14.01.2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये अथवा होंगे, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उपादान एवं पेंशन राशिकरण का, मार्च 2016 से देय भुगतान राजकीय कोषागारों द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त मदों में भुगतान स्वीकार करने अथवा भुगतान करने की परिपाटी शासकीय विभागों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को न होने के कारण कोषागारों द्वारा इस मद में कटौती या भुगतान सम्भव नहीं है। अतः न तो पेंशन से इनके विद्युत देयों की कटौती की जा रही है और न ही देय चिकित्सा भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। इसी कारण से अधोअंकित प्रस्तर-2 एवं 3 में उल्लिखित व्यवस्था का नैष्ठिक अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

2. उपरोक्त के दृष्टिगत पेंशन का भुगतान ट्रेजरी से किये जाने के पूर्व के एवं नये समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स से एक निश्चित राजस्व वसूली के दृष्टिगत दिनांक 31.12.2015 से पूर्व की दरसूची एल०एम०वी-10 के प्रस्तर 2ए में दर्शायी गयी श्रेणीवार निर्धारित दर अन्तरिम धनराशि के रूप में सम्बन्धित पेंशन वितरण खण्डों में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनर के पेंशन आदेश संख्या के सापेक्ष जमा कराकर सम्बन्धित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को रसीद जारी की जाने के आदेश पत्र संख्या-421-एच.सी./टैरिफ/एलएमवी-10/2016-17/व०-1, दिनांक 16.11.16 द्वारा निर्गत किए गए हैं।

3. पेंशनर्स को देय चिकित्सा भत्तों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में कारपोरेशन के आदेश सं०-1201-पै०एवंआर०/पाकालि/16 दिनांक 16.12.16 में इंगित व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित पेंशन भुगतान इकाई, जहाँ से पेंशनर पूर्व में पेंशन प्राप्त कर रहे थे, प्रतिमाह चिकित्सा भत्ते का भुगतान सम्बन्धित पेंशनर के बैंक खाते में अन्तरित कराये जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं।

4. विभिन्न पेंशनर्स संगठनों/कर्मचारी संगठनों तथा तमाम पेंशनरों से लगातार प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप अधिसंख्य इकाईयों द्वारा पेंशनर्स के विद्युत देयों को जमा कराने में टालमटोल किया जा रहा है जिससे अधिकांश पेंशनर्स अपना विद्युत शुल्क नहीं जमा कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिन पेंशनर्स ने अपना विद्युत शुल्क जमा कर दिया है उनको भी मार्च 2016 से अब तक चिकित्सा भत्ते का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

5. उपरोक्त स्थिति निश्चय ही अत्यन्त खेदजनक है अतः कारपोरेशन के उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से नैष्ठिक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित पेंशनर्स का विद्युत शुल्क जमा कराये जाने तथा चिकित्सा भत्ते का भुगतान सीधे पेंशनर के खाते में अन्तरित कराये जाने की कार्यवाही तुरन्त सुनिश्चित करें। अन्यथा आगे इस सम्बन्ध में व्यथा (ग्रीवान्स) प्राप्त होने पर सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु विवश होना पड़ेगा।

क्रमशः...2...

6. विद्युत देयों की वसूली तथा चिकित्सा भत्तों के भुगतान सम्बन्धी मदों का समुचित लेखांकन एवं सम्बन्धित अभिलेखों का उचित रख-रखाव भी सुनिश्चित किया जाय।

(एस0पी0 पाण्डेय)

निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0)

संख्या : (i)-पै0एवंआर0-28/पाकालि/2017 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
2. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(एस0पी0 पाण्डेय)

निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0)

संख्या : (ii)-पै0एवंआर0-28/पाकालि/2017 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ इकाईयों द्वारा उपरोक्त आदेशों का नैष्ठिक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें :-

1. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, केस्को, कानपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियों।

(एस0पी0 पाण्डेय)

निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0)

संख्या : (iii)-पै0एवंआर0-28/पाकालि/2017 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियों।
3. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
5. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103-कीर्ति अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुईयन, 12-आफ, स्टेशन रोड, लखनऊ।
7. महामंत्री, विद्युत पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (उ0प्र0), 86/92ख, रिसालदार पार्क, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू0पी0, पेंशनर्स एसोसिएशन, 18-बी, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ।
9. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाईल।

(एस0पी0 पाण्डेय)

निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0)